न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए आरटीए
प्रकरण संख्या–48/2017

1. रघुवीरसिंह पुत्र कर्मसिंह } जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी
2. गुरसेवकसिंह पुत्र गुरदीपसिंह } जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गुरजन्टसिंह } पि0 करनैलसिंह कौम जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी
2. बलवीरसिंह } जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

अप्रार्थीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री करनैलसिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 3-1-17

प्रार्थीगण रघुवीरसिंह ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आरटीए के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थी सं0 1 रघुवीरसिंह के नाम से चकनं0 1 एनडीआर के खाता सं0 88/85 में कुल .796 है0 व प्रार्थी सं0 2 गुरसेवकसिंह के नाम से इसी चक के खातासं0 21/21 में कुल .797 है0 में से 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है तथा अप्रार्थी सं0 1 गुरजन्टसिंह के नाम से चकनं0 1 एनडीआर के खाता सं0 18/15 में .304 है0 व अप्रार्थी सं0 2 बलवीरसिंह के नाम से इसी चक के खाता सं0 66/65 में .368 है0 भूमि दर्ज है।

प्रार्थीगण को अपनी आराजी चक नं0 1 एनडीआर में स्थित भूमि में प्रवेश करने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है जिसकी वजह से प्रार्थीगण को अपनी आराजी काश्त करने, सिचाई करने तथा जुताई करने में काफी परेशानी होती है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज चालु रास्ता से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करते है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने से उक्त रास्ता को अप्रार्थीगण कभी भी बंद कर सकते है। इसलिए प्रार्थीगण चकनं0 1 एनडीआर के खाता सं0 18/15 के प0नं0 207/326 मु0 34 किलानं0 21/2/.089 है0 में उत्तर दिशा मे पश्चिमसे पूर्व 8½ फुट चौडा व 150 फुट लम्बा तथा इसी चक के खाता सं0 66/65 के प0नं0 207/326 मु0 34 किलानं0 20/2/.089 है0 मन्जूर करवाकर राजस्व रिकार्ड में मै0मु0 रास्ता का अंकन करवाना चाहते है।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व नायब तहसीलदार सलवाडा से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नही करने का निवेदन किया। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल की गई।

बहस प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे दर्ज चालु रास्ता से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करते है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने से उक्त रास्ता को अप्रार्थीगण कभी भी बंद कर सकते है। इसलिए प्रार्थीगण चकनं0 1 एनडीआर के खाता सं0 18/15 के प0नं0 207/326 मु0 34 किलानं0

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

21/2/.089 है0 में उतर दिशा में पश्चिमसे पूर्व 8¼ फुट चौड़ा व 150 फुट लम्बा तथा इसी चक के खाता सं0 66/65 के प0न0 207/326 मु0 34 किलानं0 20/2/.089 है0 मन्जूर करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन करवाना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा पारिवारिक समझौता बाबत बटवारानामा पेश किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित है कि प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता नजदीकी रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही है। मौका पर रास्ता चालु है। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली अध्यन से प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीक रास्ता उपलब्ध नही है। पटवार हल्का की रिपोर्ट व पारिवाकि समझौता के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहे है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है चकनं0 1 एनडीआर के खातासं0 18/15 प0न0 207/326 मु0 34 किलानं 0 21/2/.089 में उतर दिशा में पश्चिम से पूर्व 8¼ फुट चौड़ा व 150 फुट लम्बा तथा इसी चक के खाता सं0 66/65 के प0न0 207/326 मु0 34 किलानं0 20/2/.088 है0 में दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व 8¼ फुटचौड़ा व 150 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है व स्वीकृशुदा रास्ता का गै0मु0 रास्ता के रुप मे अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 3-9-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner